

31-10-18

प्राप्ति है वही उपस्थित। पराक्षर सरकार
उपस्थित। प्राप्ति द्वारा प्राप्तिपत्र में उंक्ति
तथ्यों को वृत्तिगत रखते हुए प्राप्ति का प्राप्ति
पत्र स्वीकार किया जाकर कपील पेश करने
में हुए विलम्ब की कवधि को कन्डेन किया
जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली
जो बल सुधार होकर नम्बर से रक्त हो तथा
मूल कपील पत्रावली के साथ नम्बरी हो।

मति. निर्यात प्रकरण
चिरंजी (सप.)